

**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,
जैतारण (जिला-ब्यावर) राज०**

पीठासीन अधिकारी : श्री रवि प्रकाश, आर०ए०एस०

राजस्व वाद पत्र संख्या : 146/2023

GCMS No. : 2023/287

--: वादी :-

बनाम

--: प्रतिवादीगण :-

- | | |
|---|--|
| <p>1. तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
तहसील-जैतारण, जिला-ब्यावर।</p> | <p>1. बद्रीलाल पुत्र बाबूलाल जाति-माली
निवासी-श्री पैलेस निमाज, तहसील-जैतारण
2. बंशीलाल पुत्र शिवराम जाति-कुमावत
निवासी- भण्डारी कॉलोनी निमाज
तहसील-जैतारण।
3. शांतिदेवी पत्नी आसुराम जाति-कुमावत
निवासी-बेरा चादोरो का काचोरा निमाज-1
तहसील-जैतारण जिला-ब्यावर।</p> |
|---|--|

राजस्व वाद पत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी, अधिनियम,
1955

तारीख रजु :- 06.07.2023

उपस्थित:- 1. तहसीलदार, जैतारण पैरोकार सरकार।

2. श्री किशोर कुमावत, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 01,02 की ओर से।

--: निर्णय :-

दिनांक :- 29.10.2024

वादी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि खसरा नंबर 846/17 कुल रकबा 0.2185 हैक्टर किस्म चाही चारम सरहद मौजा- निमाज-1 तहसील-जैतारण में स्थित है उक्त आराजी का वादी भूमि लैण्ड होल्डर है। प्रतिवादी आराजी जैर बहस के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी ने जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को कृषि के रूप में काम में न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं किस्म परिवर्तित कर **वाणिज्यिक उपयोग (पक्की दूकानों का निर्माण)** कर खुर्द बुर्द कर रहे है जिसका प्रतिवादी को हक नहीं है। प्रतिवादी ने राजस्थान कानून के प्रावधानों व टिनेन्सी एक्ट की शर्तों को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है, जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा टिनेन्सी एक्ट की शर्तों को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब प्रतिवादीगण को जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित हैं। दावा हाजा के लिए बिनाय मुख्यासमत दिनांक 10.03.2023 को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का निमाज-1 ने वादी को प्रतिवादीगण द्वारा जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से के अवैध रूप से अकृषि (पक्की दूकानों का निर्माण) का कार्य करने की सूचना जरिये रिपोर्ट दी। वादपत्र को सुनने का हक अदालत हाज को धारा 177 92क, 63 आर.टी एक्ट 1955 के तहत है। वाद वादी मय शपथ पत्र व डुप्लीकेट प्रति के पेश कर



(रविप्रकाश RAS)


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

निवेदन है कि वाद बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाये तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को खुर्द बुर्द नहीं करे। अन्य सिद्धि जो मुफिद वादी हो एवं 289 आरटी एक्ट के तहत दिलवाई जावे।

इस पर वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। है। प्रतिवादी संख्या 01 और 02 की ओर वकालतनामा पेश हुआ, जो सामिल मिसल है।

प्रतिवादी संख्या 01 और 02 ने जवाब वादपत्र प्रस्तुत किया कि वादपत्र के पद संख्या 1 का जबाब है कि सरहद मौजा निमाज प्रथम पटवार हल्का निमाज प्रथम में वर्णित खसरा नम्बर 846/17 कुल रकबा 0.2185 हैक्टर की आई हुई है के कथन सही है तथा उपरोक्त वर्णित आराजी मे जबाब देहन्दा माफिक अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काशत करती चली आ रही है। वादपत्र के पद संख्या 2 का जबाब है कि उपरोक्त वर्णित आराजी को जबाब देहन्दा वर्तमान मे काशत के रूप में उपयोग मे ले रहे है किसी भी प्रकार से पक्की दुकानो का निर्माण कर वाणिज्यक रूप मे कोई उपयोग नही लिया जा रहा है जबाब देहन्दा द्वारा अपने मवेशीयो के लिये चारा डालने एवं कृषि यंत्र रखने हेतू कमरो का निर्माण किया है तथा कृषि भूमि मे किसी प्रकार से कोई अकृषि कार्य नहीं किया जा रहा है तथा न ही राजस्थान काशतकारी कानून के प्रावधानो एवं टीनेन्सी शर्तो को मंग किया है। वादी ने झुठे कथनो का समावेश कर यह निराधार वादपत्र पेश किया है जो काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावे। वादपत्र के पद संख्या 3 का जबाब है कि जबाब देहन्दा ने कसी प्रकार से टीनेन्सी शर्तो को भंग नहीं किया है उनके नाम की खातेदारी कृषि भूमि पर वह कृषि कार्य कर रही है और जब वादग्रस्त सम्पति पर जबाब देहन्दा कृषि कार्य कर रही है तो उन्हे किसी तरह से बेदखल नहीं किया जा सकता। वर्तमान में पशुओ के चारे के लिये चारा हेतू एवं कृषि यंत्र रखने हेतू निर्माण कर रखा है तथा कृषि भूमि की उपज को सुरक्षित रखने के लिये कृषि भूमि निर्माण किया जाना आवश्यक होने से उपज, कृषि यंत्र एवं पशुओ के चारा हेतू कमरो का निर्माण करवाया है जबकि जबाब देहन्दा किसी प्रकार से वाणिज्यक प्रयोजनार्थ कोई निर्माण नही करवाया है। वादी ने पटवारी हल्का की गलत एवं एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर यह झुठा वादपत्र जबाब देहन्दागण के विरुद्ध पेश किया है जो किसी कानूनी दृष्टिकोण से पोषणीय नही है। वादपत्र के पद संख्या 4 का जबाब है कि दिनांक 10/03/2023 को वादग्रस्त खसरा नम्बर मे जबाब देहन्दा द्वारा किसी प्रकार का कोई गैरकृषि कार्य नही किया फिर भी वादी ने केवल मात्र वादपत्र प्रस्तुत करने की गरज से झुठे तथ्यो का उल्लेख करते हुए जबाब देहन्दा को बिना नोटिस दिये एवं बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही झुठा वादपत्र माननीय न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत किया है। इस पद में वर्णित तमाम तथ्य गलत झुठे बेबुनियाद होने से जबाब देहन्दा अस्वीकार करते है। वादपत्र के पद संख्या 5 का





(रविप्रकाश RAS)

उपरोक्त अधिकांश एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जेतारण (ब्यावर)

जबाब है कि वादग्रस्त भूमि जबाब देहन्दा की खातेदारी कृषिभूमि है जिसमे जबाब देहन्दा ने किसी प्रकार से कोई अकृषि कार्य नहीं किया है। इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र किसी दृष्टिकोण से चलने योग्य नहीं होने से मय खर्चा खारिज फरमावे। वादपत्र के पद संख्या 6 जबाब है कि इस पद में वादी ने जो अनुतोष चाहा है जो जबाब देहन्दागण के विरुद्ध प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है क्योंकि वादी ने अपने वादपत्र में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया केवल मात्र पटवारी हल्का की गलत एवं एकतरफा रिपोर्ट को आधार बनाकर यह झूठा वादपत्र जबाब देहन्दागण को तंग व परेशान करने की नियत से प्रस्तुत किया गया है जिसके आधार पर जबाब देहन्दा के विरुद्ध कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से वादी का वादपत्र काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावे।

प्रतिवादी संख्या 01 और 02 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 178(2) राज.काश्तकारी अधिनियम का पेश हुआ कि सरहद मौजा निमाज प्रथम पटवार हल्का निमाज प्रथम में वर्णित खसरा नम्बर 846/17 कुल रकबा 0.2185 हैक्टर की आई हुई है के कथन सही है तथा उपरोक्त वर्णित आराजी मे जबाब देहन्दा माफिक अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। जिसके विरुद्ध न्यायालय श्रीमान् के समक्ष धारा 177 राज. काश्त.अधि. के तहत पत्रावली विचाराधीन है। उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान की कृषि भूमि मे प्रार्थीया ने किसी प्रकार से कोई अकृषि कार्य नहीं किया है फिर भी प्रार्थीया द्वारा अपने पशुओ का चारा, कृषि यंत्र एवं फसल की उपज को रखने सुरक्षित हेतू किये गये निर्माण को अकृषि कार्य के रूपमे मानते है तो प्रार्थीया को उक्त भूमि मे किये गये निर्माण कार्य को भू समपरिवर्तन की कार्यवाही को अमल में लाने हेतू पर्याप्त समय प्रदान किया जाना न्यायौचित होने से प्रार्थीया को भू समपरिवर्तन करवाने की कार्यवाही हेतू छूट प्रदान करावे। प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया को अपनी फसल की उपज को सुरक्षित रखने एवं कृषि यंत्र रखने तथा पशुओ का चारा रखने हेतू किये गये निर्माण को भू समपरिवर्तन करवाने की कार्यवाही हेतू उचित समय प्रदान करावे।

पत्रावली मय दस्तावेजात, जबाब कार्यवाही मय फहरिश्त दस्तावेज, उभयपक्षकारान बहस का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खातेदार प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त खातेदारी आराजी खसरा नंबर 846/17 कुल रकबा 0.2185 हैक्टर किस्म चाही चारम सरहद मौजा- निमाज-1 तहसील-जैतारण है, अर्थात कृषि योग्य भूमि है का बिना विधिक प्रक्रिया का अनुपालन किए एवं बिना सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त किए मौके पर 08 पक्की दूकानें बनाकर आवासीय प्रयोजनार्थ काम में लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर 08 पक्की दूकाने बनाकर अनुप्रयोग करना अहितकर कार्य की श्रेणी में आता है, तथा पटवारी निमाज की मौका फर्द दिनांक 10.03.2023 से इस तथ्य की भली-भाँति पुष्टि होती है। एवं प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 178(2) राज.काश्तकारी अधिनियम पेश कर उक्त वर्णित आराजी को संपरिवर्तन



(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

कराने का समय चाहा गया, जिसे स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को 90 दिवस में न्यायालय हाजा को संपरिवर्तन आदेश की प्रति प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। प्रतिवादी की ओर से 90 दिवस में एवं न्यायहित में अंतिम एक ओर अवसर दिये जाने के बावजूद भी संपरिवर्तन आदेश न्यायालय हाजा को प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो खातेदार के खातेदारी अधिकारों का विलोपित करते हुए बेदखल किए जाने का पर्याप्त आधार है। अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि वादी तहसीलदार, जैतारण का वाद-पत्र भली-भाँति साबित होता है, अतः प्रतिवादी खातेदार को वादग्रस्त आराजी में से खातेदारी, अधिकारों को विलोपित करते हुए वादग्रस्त आराजी से बेदखल करते हुए वादग्रस्त आराजी सिवाय चक खाता सरकार दर्ज करना विधि सम्मत् रहेगा।

-: आदेश :-

अतः निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा-177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली-भाँति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा- निमाज-1, तहसील- जैतारण, खसरा नम्बर 846/17, रकबा 0.2185 बीघा, किस्म चाही चारम, में से 0.0385 हैक्टेयर भाग जो कि वाद-पत्र एवं मौका रिपोर्ट में अंकित है, से प्रतिवादी के खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए सिवायचक खाता सरकार दर्ज करते हुए उस पर से प्रतिवादी को बेदखल किया जाए। तहसीलदार जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि इस आदेश के संलग्न पटवारी मौका रिपोर्ट में लाल स्याही से अंकित भाग को सिवायचक दर्ज करते हुए भू नक्शे में तरमीम करें। इसी मुताबिक पर्चा डिक्री जारी हो जो कि इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

(सहायक कलेक्टर एवं) पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,
सहायक कलेक्टर (जिला- ब्यावर) ब्यावर)



निर्णय आज दिनांक 29/10/2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(सहायक कलेक्टर एवं) पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,
सहायक कलेक्टर (जिला- ब्यावर) ब्यावर)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत
बईजलास:- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण
:- श्री रवि प्रकाश, आर0ए0एस0

-: वादी :-

बनाम

-: प्रतिवादीगण :-


1. तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
तहसील-जैतारण, जिला-ब्यावर।1. बद्रीलाल पुत्र बाबूलाल जाति-माली
निवासी-श्री पैलेस निमाज, तहसील-जैतारण
2. बंशीलाल पुत्र शिवराम जाति-कुमावत
निवासी- भण्डारी कॉलोनी निमाज
तहसील-जैतारण।
3. शांतिदेवी पत्नी आसुराम जाति-कुमावत
निवासी-बेरा चादोरो का काचोरा निमाज-1
तहसील-जैतारण जिला-ब्यावर।राजस्व वादपत्र बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा ,
177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 146/2023

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु-..... व हाजरी श्री तहसीलदार जैतारण, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री किशोर कुमावत प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अंतर्गत धारा-177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली-भाँति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा- निमाज-1, तहसील- जैतारण, खसरा नम्बर 846/17, रकबा 0.2185 बीघा, किस्म चाही चारम, में से 0.0385 हैक्टेयर भाग जो कि वाद-पत्र एवं मौका रिपोर्ट में अंकित है, से प्रतिवादी के खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए सिवायचक खाता सरकार दर्ज करते हुए उस पर से प्रतिवादी को बेदखल किया जाए। तहसीलदार जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि इस आदेश के संलग्न पटवारी मौका रिपोर्ट में लाल स्याही से अंकित भाग को सिवायचक दर्ज करते हुए भू नक्शे में तरमीम करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

नीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 29/10/2024 को जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-ब्यावर)
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

मुद्धई	रुपये	पैसे	मुद्धायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा	01	00
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी	01	00
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फारिक		
मिजान:-			मिजान:-	02	00

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे।